

कार्यालय— जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, बरेली।

पत्रांक:स्का0गा0 / 15150-C / 2017-18 दिनांक 4.1.18


समस्त खण्ड शिक्षा अधिकारी
जनपद—बरेली।

विषय—विद्यालयों एवं स्कूलों में सिगरेट एवं अन्य तम्बाकू उत्पाद अधिनियम 2003 के अन्तर्गत सभी विद्यालय/शिक्षण संस्थानों के सभी मुख्य गेट एवं प्रमुख स्थानों पर वॉल पेन्टिंग कराये जाने एवं उक्त अधिनियम के पूर्ण अनुपालन के सम्बन्ध में।

उर्पयुक्त विषयक शिक्षा निदेशक(बेसिक)उत्तर प्रदेश,लखनऊ के पत्रांक:शि0नि0(बे0)/अ0शि0नि0(शिविर)/60670-60765/2017-18 दिनांक 27-12-2017 के अनुसार विश्व में तम्बाकू एवं उसके अन्य उत्पादों के सेवन से विद्यालयों में अध्ययनरत छात्र-छात्राओं के मन मस्तिष्क प्रभावित होने के साथ उनके स्वास्थ्य पर कुप्रभाव पड़ रहा है। इस स्थिति से निपटने के लिए भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा "सिगरेट एवं अन्य तम्बाकू उत्पाद कोटपा अधिनियम 2003"के प्रावधान लागू कराये गये एवं इसके लिए निम्नलिखित बिन्दुओं का अनुपालन कराये जाने के लिए शासन द्वारा निर्देश प्रदान किये गये हैं।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि आप अपने विकास क्षेत्र/नगर क्षेत्र के समस्त विद्यालयों में संलग्न पत्र में दिये गये निर्देशों के क्रम में कार्यवाही करना सुनिश्चित करें और कृत कार्यवाही से अद्योहस्ताक्षरी को भी अवगत करायें।

संलग्नक—उपरोक्तानुसार।


जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
बरेली।

पू0सं0स्का0गा0 / / 2017-18 तददिनांक

प्रतिलिपि—निम्नलिखित को सादर सूचनार्थ प्रेषित—

1—शिक्षा निदेशक(बेसिक)उत्तर प्रदेश,लखनऊ।

2—मुख्य चिकित्सा अधिकारी,बरेली।

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
बरेली।